न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव, जिला देवास, म.प्र.
(समक्ष–राजू पन्द्रे)

Registration No.RCS-A 45/2023
Filing No. 194/2023
CNR No.MP 4105/001457/2023
Filing Date 03/08/2023

01. पार्वतीबाई पति जयनारायण जाति देशवाली, आयु 73 वर्ष, धंधा कुछ नहीं, निवासी ग्राम बण्डी तहसील खातेगांव, जिला देवास, म.प्र.। ....**वादी**

–:: विरूद्ध ::–

01. संजूबाई पिता नर्मदाप्रसाद पति बलराम जाति देशवाली, आयु 40 वर्ष, धंधा मजदूरी, निवासी ग्राम मनोरा तहसील खातेगांव जिला देवास, म.प्र.।

02. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर देवास जिला देवास म.प्र.

.........................**प्रतिवादीगण**

....

वादी द्वारा	:–	श्री डी.एल.खदाव, अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र.–01 द्वारा	:–	श्री अरूण जोशी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र.–02	:–	अनुपस्थित, पूर्व से एकपक्षीय।

....

–: निर्णय :–

(आज दिनांक– 09/12/2024 को घोषित)

1. वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि ग्राम बण्डी, तहसील खातेगांव, जिला देवास म.प्र. स्थित सर्वे नं. 16/2 रकबा 1.1300 हेक्टेयर (जिसे पश्चात् में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा) के संबंध में प्रतिवादी कं 01 के विरूद्ध स्वत्व घोषणा एवं नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि, वादी एवं प्रतिवादी कं 01 का आपस में सास–बहु का संबंध है, और विगत कई वर्षों से प्रतिवादी कं 01 अलग रह रही है। यह भी स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नं 16/2 रकबा 1.1300 हेक्टेयर भूमि ग्राम बण्डी स्थित प्रतिवादी कं 01 के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

3. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के

नाम पर दर्ज रही है। उक्त भूमि का वर्तमान में रिकॉर्ड निकालने पर वादी को यह प्रथम बार ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–2009 तक उक्त भूमि वादी के नाम पर स्थित रही है तथा बिना किसी आदेश के 2009–2010 से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रं 01 संजूबाई पति बलराम के नाम पर स्थित है। इस प्रकार तथाकथित रूप से प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा वादग्रस्त भूमि कब उसके नाम पर किस रूप में उसके नाम पर करा ली गई है, इसका कोई भी बी–1 एवं खसरा में किसी भी प्रकार का कोई इंद्राज अंकित नहीं है एवं उक्त भूमि मनमाने तरीके से प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा नाजायज उसकी सास के नाम का फायदा उठाकर उसके नाम पर उक्त भूमि बिना आदेश के करा लिया गया है एवं रिकॉर्ड में उक्त भूमि किस आदेश व किस रूप में प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा करायी गयी है इसका कोई भी विवरण राजस्व दस्तावेज में उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार छलपूर्वक व कपटपूर्वक प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा उक्त भूमि उसके नाम पर करा ली है।

4. वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी को वर्ष 2023 मई माह में प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा उक्त भूमि के सीमांकन बाबद् आवेदन तहसीलदार खातेगांव के न्यायालय में रिकॉर्ड में नाम होने का फायदा उठाते हुए सीमांकन आवेदन दिया गया और हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन किया गया। सीमांकन के लिए मौके पर पहुंचे हल्का पटवारी से जब वादी के द्वारा यह पूछा गया कि उसके नाम की भूमि पर वे लोग कैसे सीमांकन करने आये हैं, तब वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी क्रं 01 के नाम पर स्थित होने से प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा दिये गये आवेदन के कारण उक्त भूमि का सीमांकन किया जा रहा है, परंतु वादी के पति एवं पुत्र बलराम के द्वारा उक्त सीमांकन बाबद् जानकारी प्राप्त करने पर कोई भी सीमांकन के दस्तावेज राजस्व विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये। वादी द्वारा राजस्व विभाग से सीमांकन के दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो उसे बताया गया कि कोई भी सीमांकन का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात् वादी द्वारा बी–1 व खसरा बी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की तो उसमें यह पाया गया कि वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रं 01 के नाम पर होने से सीमांकन आवेदन दिया गया है।

5. वादग्रस्त भूमि पहले से ही वादी के पति जयनारायण के कब्जे में रही है एवं जयनारायण के द्वारा उक्त भूमि विगत 25 वर्षों से उसके पुत्र बलराम से खेती करवाता है और खेती करवाने की मजदूरी बलराम को दी जाती है। इस प्रकार उक्त भूमि पर पूर्व से ही वादी के पति जयनारायण का कब्जा रहा है और वर्तमान में उक्त

भूमि जयनारायण के कब्जे में स्थित है तथा वह उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग जयनारायण लेता आ रहा है। प्रतिवादी क्रं 01 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है।

6. प्रतिवादी क्रं 01 व उसकी पुत्री के द्वारा प्रस्तुत एक प्रकरण विविध फौजदारी प्रकरण क्रं 15/2004 जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी क्रं 01 की पुत्री कंचन उस समय अज्ञान थी, परंतु उक्त भरण पोषण के आवेदन में वादी के द्वारा कभी भी वादी के नाम की भूमि उसकी बहु प्रतिवादी क्रं 01 के नाम पर नहीं करायी गयी। भरण–पोषण के प्रकरण में वादी के नाम की भूमि प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा उसके नाम पर कैसे करा ली इस बात का कोई भी उल्लेख राजस्व अभिलेखों में व सिविल न्यायालय में नहीं है, तथा सिविल न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय व आदेश नहीं दिया गया है। उक्त भरण पोषण आवेदन में दिनांक 28.02.2006 को आदेश पारित किया गया है जिसमें 1000/– रूपये प्रतिमाह प्रतिवादी क्रं 01 को एवं 250/– रूपये उसकी पुत्री कंचन को प्रदान किया जाना है, परंतु वादी के नाम की भूमि का कोई भी आदेश उक्त भरण पोषण आवेदन में प्रदान नहीं किया गया है।

7. वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रं 01 के द्वारा मनमाने तरीके से बिना आदेश व निर्णय के छल कपट करके उसके नाम पर करा ली है। अतः वादी का वादग्रस्त भूमि पर हक होने से वादी के पक्ष में स्वत्व घोषणा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

8. प्रतिवादी क्रं 01 द्वारा उक्त दावे का लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदन के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष समस्त तथ्यों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि, वादी पार्वतीबाई के द्वारा उसकी स्वेच्छा से ही प्रतिवादी क्रं 01 संजूबाई के नाम पर वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवायी है। प्रतिवादी क्रं 01 के नाम पर वादग्रस्त भूमि विगत 12–13 वर्षों से चली आ रही है और उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हेतु सीमांकन कराने के उद्देश्य से तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार मौके पर हल्का पटवारी को पहुंचाया था। प्रतिवादी क्रं 01 द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि, प्रतिवादी क्रं 01 विगत 13–14 वर्षों से वादग्रस्त भूमि की मालिक रही है इस प्रकार से यह प्रकरण 12 वर्ष बाद अवधि बाह्य प्रस्तुत किया है।

9. प्रतिवादी क्रं 01 द्वारा विशेष कथन किया गया है कि, इस प्रकरण में उल्लेखित भरण पोषण का प्रकरण वर्तमान में भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है,

जिसमें वादी का पुत्र बलराम उसके कर्तव्यों का निर्वहन ना करते हुये प्रतिवादी कं 01 को न्यायालय के आदेशानुसार मासिक भरण पोषण की अदायगी नहीं कर रहा है। वादी के पुत्र बलराम के द्वारा पूर्व में ही प्रतिवादी कं 01 का परित्याग करके एवं बिना विवाह विच्छेद किये, किसी अन्य महिला के साथ विवाह कर लिया है। इसी कारण से वादी एवं उसके पुत्र बलराम के विरूद्ध पूर्व में अंतर्गत धारा 498ए, 506/34 का प्रकरण माननीय दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी खातेगांव के समक्ष विचाराधीन रहा और उक्त प्रकरण में वादी एवं शेष आरोपीगण को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुये कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया है। इसी दौरान वादी के द्वारा प्रतिवादी कं 01 के पक्ष में पूर्ण सहमति से वादग्रस्त भूमि राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में नाम कराया गया था, जो विगत 13–14 वर्षों से मालिक नाते प्रतिवादी कं 01 के नाम पर दर्ज है। अतः वादी ने प्रतिवादी कं 01 को परेशान करके अनावश्यक व्यय हेतु मजबूर किया है इसलिये वादी से प्रतिवादी कं 01 को वाद का संपूर्ण वाद व्यय दिलाया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवदेन किया है।

10. उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निम्नानुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये थे, जिनकी साक्ष्य विवेचना उपरांत प्राप्त निष्कर्ष संबंधित वाद प्रश्न के सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं–

क्र.	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या वादग्रस्त भूमि ग्राम बण्डी, तहसील खातेगांव, जिला देवास स्थित सर्वे नम्बर 16/2 रकबा 1.1300 हेक्टेयर पर एकमात्र वादी का स्वत्व है ?	**''प्रमाणित''**
2	क्या प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि अवैधानिक रूप से उसके नाम पर दर्ज करा लिया है ?	**''प्रमाणित''**
3	सहायता एवं खर्च ?	**''कण्डिका 28 के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया गया''**
4	क्या वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	**''प्रमाणित नहीं''**

–: सकारण निष्कर्ष :–

(वाद प्रश्न क्रमांक–01 व 02 का विनिश्चय)

11. उक्त दोनों वादप्रश्न एक दूसरे सुसंगत होने से साक्ष्य की पुनरावृति को

निवारित करने के लिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

12. वादी पार्वती बाई वा.सा.01 का कथन है कि, उसकी लगभग 3 एकड़ जमीन ग्राम बण्डी में है। उसकी जमीन पर प्रतिवादी संजूबाई के द्वारा चोरी से नाम दर्ज करवा लिया है। उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि की कोई रजिस्ट्री या दान नहीं किया है। उक्त जमीन पर उसका एवं उसके पति का कब्जा है तथा इस पर वह फसले बोते व काटते है।

13. जयनारायण वा.सा.02 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उसने उसकी पत्नी के नाम पर करवाया है तथा उक्त जमीन वर्तमान में प्रतिवादी संजूबाई के नाम पर है। उक्त जमीन संजूबाई ने अपने नाम पर कैसे करवाई है और कब करवाई है उसे जानकारी नहीं है। वादी साक्षी गेंदालाल वा.सा.03 ने कथन किया है कि, वादग्रस्त जमीन पर जयनारायण खेती करता है जिसे वह 15–20 वर्षो से देख रहा है और जयनारायण फसल बोता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं उसके पति का आधिपत्य होना बताया गया है।

14. प्रतिवादी संजूबाई प्र.सा.01 का कथन है कि, उसकी ग्राम बण्डी में पौने तीन एकड़ जमीन है जो उसके पति, सास–ससुर दहेज के प्रकरण में जेल गये थे तो उन्होंने कहा था कि, हमें अन्दर मत जाने दो हम जमीन नाम पर करा देंगे फिर उसके पति बलराम और उसके सास–ससुर ने वादग्रस्त जमीन 15 साल पहले उसके नाम पर कराई थी। प्रतिवादी की ओर से दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1585/2004 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2010 एवं आदेश पत्रिका प्रडी–01 व प्रडी–02 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है तथा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 15/2004 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2006 तथा अमरसिंह एवं बलराम के कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जो प्रडी–03, 04 व प्रडी–05 है। प्रतिवादी संजूबाई के कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी कमलसिंह प्र.सा.02 द्वारा किया गया है।

15. वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि उसके स्वत्व की होने के संबंध में वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक की किस्तबन्दी खतौनी प्रपी–01 लगायत प्रपी–05 प्रस्तुत की है तथा वर्ष 2009–10 से वर्ष 2023–2024 तक प्रतिवादी का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज होने के संबंध में किस्तबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जो प्रपी–06 लगायत प्रपी–20 है। जिसके अवलोकन से दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के नाम पर दर्ज रही है तथा वर्ष 2009–2010 से प्रतिवादी संजूबाई का नाम दर्ज है।

16. वादी का तर्क है कि, वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अवैधानिक रूप से नाम दर्ज करवा लिया है, जिसके संबंध में प्रतिवादी की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जबकि प्रतिवादी का तर्क है कि, वादी द्वारा उसकी सहमति से आपराधिक प्रकरण से बचने के लिये वादग्रस्त भूमि वादी एवं उसके पति की सहमति से उसके नाम पर दर्ज कराई गई है परन्तु वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम पर दर्ज कराई जाने के संबंध में कोई भी राजस्व कार्यवाही से संबंधित कोई दस्तावेज या आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. प्रतिवादी की ओर से तर्क किया गया है कि, वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर कैसे दर्ज हुई है, उसके संबंध में वादी की ओर से भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है वह प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है, उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत Punjab Urban Planning & Develoment Authority v/s M/s. Shiv Saraswati Iron & Steel re-rolling Mills MPWN 1998(ii) , Munnibai v/s Vijay Singh and another 2018 (ii) MPWN39 प्रस्तुत किया है जो अवलोकनीय है।

18. वादी की ओर से उसका स्वयं का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज होने के संबंध में स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया है तथा वादी एवं उसके पति द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम दर्ज कराई है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गई है कि पूर्व में वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज रही है अर्थात वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के स्वामित्व की थी। अब यह साबित करने का भार प्रतिवादी का है कि, वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर कैसे आई।

19. प्रतिवादी संजूबाई प्र.सा.01 ने कथन किया है कि, वादग्रस्त भूमि उसके पति, सास–ससुर दहेज के प्रकरण में जेल गये थे, तो उन्होंने कहा था कि, हमें अन्दर मत जाने दो हम जमीन नाम करा देंगे, जबकि वादी साक्षी वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में यह अस्वीकार किया है कि भरण पोषण राशि के बदले में उसने और उसके लड़के ने वर्ष 2010 में वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी के नाम पर कराई थी। यह अस्वीकार किया है कि, वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा होने के बावजूद भी वह झूंठ बोल रही है। वादी साक्षी जयनारायण वा.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, वादग्रस्त जमीन उसने खरीदी नही है बल्कि उसके बाप–दादाओं की है जो

उसके पिताजी के समय है। उसने वादग्रस्त जमीन की रजिस्ट्री उसकी पत्नी के नाम पर नहीं कराई है और न ही बेचा है और न ही दान किया है। स्वतः कहा कि, छोटा खाता करना था इसलिये उसने वादग्रस्त जमीन वादी के नाम पर करा दिया था। वादग्रस्त जमीन उसके हिस्से की है पर उसने उसकी पत्नी का नाम करा दिया था। उसने कुआं खुदवाने का सोचा था इसलिये छोटा खाता कराया था इसके अलावा वादग्रस्त जमीन वादी के नाम पर कराने का कोई कारण नहीं था। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन उसने और उसकी पत्नी और लड़के ने खाना खर्चे के एवज में संजू बाई को दे दी थी। यह भी अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन पर उसका कब्जा नहीं है। स्वतः कहा कि, उसी का कब्जा है।

20. प्रतिवादी साक्षी संजू बाई प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 05 में कथन किया है कि उसके पति ने उनकी मर्जी से वादग्रस्त जमीन उसके नाम पर करवाई है। उसके पास उक्त जमीन की रजिस्ट्री या दानपत्र नहीं है। स्वतः कहा कि, परिवार की जमीन रहती है तो रजिस्ट्री एवं दानपत्र की जरूरत नहीं होती। इसी साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके नाम पर किस प्रकार नामांतरण से प्राप्त हुई उसके संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि, पटवारी और तहसीलदार से मिलकर उसने झूंठे दस्तावेज तैयार किये है। स्वतः कहा कि, नामांतरण करने वाला पटवारी जीवित है और दस लोगों के सामने जमीन नाम करवाई हैं उस समय पटवारी दिनेश सिसोदिया था, जिसने जमीन नाम पर करवाई थी और बाकी कमल पटेल, हरिओम व प्रहलाद पटेल जूनापानी वाले तथा सुधीर वकील साहब भी थे। इसी साक्षी से प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में प्रश्न पूछे जाने पर कि, आप जमीन की उपज भी लेती हो और भरण पोषण की राशि भी प्राप्त कर रही हो ऐसा क्यों तो साक्षी का उत्तर है कि, जमीन वह जुता देती है और उसके पति ने अभी–अभी भरण पोषण राशि दी है पहले नही दी थी, उसे जमीन लेना है भरण पोषण की राशि नहीं लेना है क्योकि वह भरण पोषण राशि नहीं देता है।

21. इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसे भरण पोषण राशि नही जमीन लेना है। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर वादग्रस्त जमीन किस प्रकार आई उक्त संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नही की गई है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर उसका नाम दर्ज होने के पूर्व वादी का नाम दर्ज होना वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तवेजों से साबित है।

22. प्रतिवादी की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि वादी द्वारा मात्र घोषणा के लिये वाद प्रस्तुत किया है कब्जे के संबंध में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादी को अपना कब्जा साबित करना होगा। उक्त संबंध में न्यायदृष्टान्त "P.H Dayanand v/s S.Venugopal Naidu and anothers 2009 (iii) MPLJ, तथा Executive officer Arun nigu Chokkanatha V/s Swami Kohil trust Virudhunagar V/s Chandran and aothers 2017 (iii) MPLJ प्रस्तुत किया है। परन्तु वादग्रस्त भूमि पर वादी का उसके पति एवं पुत्र के माध्यम से कृषि करते हुये कब्जा होना दर्शित है इसलिये उक्त न्यायदृष्टान्तों का लाभ प्रतिवादी को प्राप्त नहीं होता है।

23. प्रतिवादी की ओर से न्यायदृष्टान्त "Union of india and others V/s Vasavi Co-Operative Housing Society Ltd and anothers 2014 (ii) MPLJ प्रस्तुत कर तर्क किया है वादी को अपने स्वामित्व के संबंध में वाद स्थापित करना होगा, अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टियों से अलग यह दर्शाना होगा कि वादी के पूर्व अधिकारियों को वादग्रस्त सम्पत्ति पर हक था। उक्त संबंध में वादी पार्वती बाई वा.सा.01 के द्वारा प्रपी–01 लगायत प्रपी–05 की किस्तबन्दी खतौनी प्रस्तुत की गई है। धारा 117 म. प्र. भू–राजस्व संहिता के अनुसार भू–अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों के संबंध में सही होने की उपधारणा की जायेगी जब तक कि, तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये। प्रतिवादी की ओर से वादी का वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व नहीं होने के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिस पर विश्वास किया जा सके। इसलिये वादी की ओर से प्रस्तुत भू–अभिलेखों के संबंध में धारा 117 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत वादी के पक्ष में उपधारण की जायेगी। वैसे भी वादी के नाम पर वादग्रस्त भूमि उसके पति द्वारा कराया जाना बताया है जिसका समर्थन वादी साक्षी वा.सा.02 जयनारायण द्वारा किया गया है।

24. चूंकि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि उसके नाम पर कैसे आई यह साबित नही कर पाई है और उक्त वादग्रस्त भूमि उसके नाम पर दर्ज होने के पूर्व वादी पार्वती बाई के नाम पर दर्ज रही है। इसलिये अधिसंभावनाओं के आधार पर यह साबित है कि, वादग्रस्त भूमि पर वादी का एक मात्र स्वत्व है तथा प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैधानिक रूप से नाम दर्ज करा लिया है। तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** के रूप में तथा वाद प्रश्न कमांक 02 का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** के रूप में अंकित किया जाता है।

(वाद प्रश्न क्रमांक–04 का विनिश्चय)

25. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी का अभिवचन है कि, वादग्रस्त भूमि पर विगत 13 वर्षो से प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेखों में मालिक नाते चला आ रहा है। वादी द्वारा उसकी सहमति से प्रतिवादी संजूबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाया है, इसलिये वादी का वाद अवधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं है, जबकि वादी द्वारा अभिवचन किया है कि, उसे दिनांक 15.05.2023 को प्रथम बार सीमांकन के लिये गिरदावर पटवारी द्वारा वादी के कब्जे की भूमि पर सीमांकन हेतु जाने पर ज्ञात हुआ कि, वादी की जानकारी के बिना प्रतिवादी द्वारा उसका नाम दर्ज करा लिया है इसलिये वादी को प्रथम बार 15.05.2023 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

26. उक्त संबंध में प्रतिवादी की ओर से तर्क किया गया है कि, वादी द्वारा 12 वर्ष के बाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी का तर्क है कि उसके द्वारा समय अवधि में जानकारी होने पर वाद प्रस्तुत किया है।

27. वादी साक्षी जयनारायण ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 08 में कथन किया है कि उसे पहले से जानकारी नहीं थी इसलिये उसने 15 सालों में वादग्रस्त जमीन पर संजूबाई का नाम होने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की थी। स्वतः कहा कि उसे नोटिस मिला तभी जानकारी हुई। इस प्रकार वादी द्वारा यह वाद जब वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी जमीन पर प्रतिवादी कं. 01 द्वारा उसका नाम दर्ज करा लिया है तब वाद कारण दिनांक 15.05.2023 को उत्पन्न होने के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हैं। जो कि परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 58 के अनुसार जब वाद लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत हुआ तब से 03 वर्ष के भीतर घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार वादप्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में अंकित किया जाता है।

(वाद प्रश्न क्रमांक–03 का विनिश्चय)

28. उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना के आधार पर वादी अपना वाद अधिसंभावनाओं की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रही है। फलतः वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाकर निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :–

R.C.S. No. 45A/2023
Parvati Bai V/s sanju bai etc.

01– यह उद्घोषित किया जाता है कि, वादग्रस्त भूमि ग्राम बण्डी, तहसील खातेगांव, जिला देवास म.प्र. स्थित में सर्वे नं. 16/2 रकबा 1.1300 हेक्टेयर पर वादी का एक मात्र स्वत्व है। तद्नुसार वादी पुनः अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की अधिकारी है।

02– प्रतिवादी क्रमांक 01 स्वयं का एवं वादी का वाद व्यय वहन करेगी।

03– अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन, नियम 523 मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेशानुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो, व्यय में जोड़ी जाए।

उपरोक्तानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्राकिंत कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान :– खातेगांव, जिला देवास, म.प्र.
दिनांक :– 09.12.2024

(राजू पन्द्रे)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,
खातेगांव, जिला देवास (म0प्र0)

RAJU PANDRE

Digitally signed by RAJU PANDRE
Date: 2024.12.13 13:26:46 +0530